

कार्यालय आदेश सं०-734/2021

इस कार्यालय के पत्रांक-ECR-SEEOPERS(TRAN)/31/2021 Comp No.-133975 दिनांक-24.09.2021 एवं मरेप्र(कार्मिक)/मुम्बई, पश्चिम रेलवे के पत्रांक-E/E/228961/IRMT/(KS-AK) दिनांक-13.10.2021 द्वारा सोनपुर मंडल के श्री अरविन्द कुमार, TM-III (Reversion on TM-IV), लेवल-01 अधीन वसेई/पथ/खगडिया एवं मुम्बई मंडल के श्री कुमार शशि, TM-IV, लेवल-01 अधीन वसेई/पथ/सिंदखेड़ा के बीच अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण पर दोनों मंडल के सक्षम अधिकारी मरेप्र महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः रेलवे बोर्ड के पत्रांक-ई/एनजी/1/2017/टीआर/24 दिनांक-09.05.2018 के आलोक में श्री अरविन्द कुमार लेवल-01 अधीन वसेई/पथ/खगडिया को पारस्परिक स्थानान्तरण पर मुम्बई मंडल, पश्चिम रेलवे के लिए विरमित करने हेतु इस कार्यालय को भेजे, ताकि श्री अरविन्द कुमार को मुम्बई मंडल विरमित किया जा सके।

पारस्परिक स्थानान्तरण पर निम्न शर्तों के अधीन अनुमेय होगा-

01. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर/एसपीई/विज0 की सजा से मुक्त हो।
02. नियमानुसार दोनों कर्मचारी को किसी भी प्रकार का भत्ता यथा सी.टी.जी./पास स्थानान्तरण अवकाश देय नहीं होगा।
03. वरीयता पारस्परिक स्थानान्तरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।
उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।

(अतुल कुमार)
सकाधि-

कृते मरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर
दिनांक-27.10.2021

सं०- ECR-SEEOPERS(TRAN)/82/2020-O/o Sr.DPO/SEE/ECR

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. वमई(समन्वय)/सोनपुर
02. वमविप्र/सोनपुर
03. मरेप्र(कार्मिक)/मुम्बई(मध्य), पश्चिम रेलवे-रेलवे बोर्ड के पत्रांक-ई/एनजी/1/2017/टीआर/24 दिनांक-09.05.2018 के अनुपालन में अपने अधिनस्त कर्मचारी को डीएआर/एसपीई/विज0 की सजा से मुक्त होने पर इस कार्यालय को रिपोर्ट करने हेतु विरमित करने की व्यवस्था करें।
04. समई(पूर्व)/बरोनी 05. वसेई/पथ/खगडिया 06 कर्मचारी प्रति। 07. अभिलेख प्रति।
08. मंडल मंत्री-ईसीआरकेयू, अजा-अजजा एवं ओबीसी एशो0 सोनपुर मंडल।

Akshay
27/10/21
कृते मरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर